दिनांक	टी0ए0 मिस केस सं0 80/2019-20 आदेश	अभ्युक्ति
2/08/19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **खेत्रो पुरती, पिता– स्व0 डुबलिया पुरती,** ग्राम– **बाईहातु,** थाना– **मुफस्सिल,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **दुम्बीसाई,** **थाना– 643,** खाता नं०– **56,** प्लॉट नं०– **438, रक्वा–** 0.09 **एकड़** भूमि क्रेता **नन्दी सुन्डी, पिता– स्व0 ब्रजमोहन सुन्डी,** ग्राम– गन्जरा, थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर ना0 मु0 सं0– 63/2005–06 द्वारा नामांतरित है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 525,दिनांक–. 30.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **नन्दी सुन्डी, पिता– स्व0 ब्रजमोहन सुन्डी,** ग्राम– **गन्जरा,** थाना– **मुफ्फसिल,** के पास 5,95,000.00/–(पांच लाख पंचानब्बे हजार) रूपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **मुफ्फसिल** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ईलाका मानकी का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 4.41 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में आवेदक **खेत्रो पुरती, पिता–स्व0 डुबलिया पुरती,** ग्राम–**बाईहातु,** क्रेता **नन्दी सुन्डी, पिता–स्व0 ब्रजमोहन सुन्डी,** ग्राम– **गन्जरा,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास 5,95,000.00/–(पांच लाख पंचानब्बे हजार) रूपये मे मौजा– **दुम्बीसाई, थाना– 643,** खाता नं०– 56, प्लॉट नं०–438, रक्वा– 0.09 एकड़ भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ...अनुमति.........दी जाती है। लेखापित। ह0/- 2/8 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। ह0/- 2/8/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner